रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122025-268392 CG-DL-E-10122025-268392

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947

No. 804]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 890(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बैंककारी विनियमन (कंपनी) संशोधन नियम, 2025 है।
 - (2) ये 15 दिसंबर, 2025 को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में उपनियम (1) के खंड (च) के उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा।
- 3. उक्त नियमों में.-
 - (i) नियम 2क में, "समनुषंगी बैंक" और "कोई समनुषंगी बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

8328 GI/2025 (1)

- (ii) नियम 15ख का लोप किया जाएगा।
- (iii) प्ररूप 8 में,-
- (क) "निम्नलिखित को कारबार के बंद होने पर" शीर्ष के नीचे "पहला एकांतर शुक्रवार+", "दूसरा एकांतर शुक्रवार+" और "तीसरा एकांतर शुक्रवार+" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"महीने का 15वां दिन@" और "महीने का अंतिम दिन@";

- (ख) भाग क में,-
- (i) खंड 1 के उपखंड (क) की मद (i) में, "समनुषंगी बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
- (ii) खंड 2 में, "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" शब्दों के स्थान पर, "एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, लघु उद्योग बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना और विकास बैंक, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2(गगगii) में यथा परिभाषित अन्य विकास वित्तीय संस्थाएं" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- (iii) खंड 5 के उपखंड (क) की मद (i) में, "समनुषंगी बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
- (ग) भाग ख के खंड 8 में, "(पिछले दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को 7 का 3 प्रतिशत)" कोष्ठक, अंक और शब्दों के स्थान पर "(पिछले दूसरे पखवाड़े के अंतिम दिन 7 का ऐसा प्रतिशत, जो रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया जाए)" कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे।
 - (घ) भाग ग में,-
- (क) खंड 11 में, "(पिछले दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को 25 प्रतिशत या 7 का ऐसा अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिशतता)" कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "(पिछले दूसरे पखवाड़े के अंतिम दिन को 7 का ऐसा प्रतिशत, जो रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया जाए)" कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) खंड 13 में, -
 - (i) उपखकंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(झ) स्थायी निक्षेप सुविधा स्कीम के अधीन रिजर्व बैंक में निक्षिप्त रकम।
 - (ii) इस प्रकार अंतःस्थापित खंड (झ) के पश्चात्, "(क) से (ज) तक का योग" कोष्ठकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "(क) से (झ) तक का योग" कोष्ठक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।
 - (ङ) टिप्पण में, -
 - (i) "समनुषंगी बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
 - (ii) "शुक्रवार" शब्द के स्थान पर " माह का 15वां या अंतिम दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- (iv) प्ररूप 10 में, -
 - (क) शीर्ष में, "शुक्रवार" शब्द के स्थान पर, "दिन" शब्द रखा जाएगा।
 - (ख) भाग 1 की मद क.4 में, -
 - (i) उपमद 4.1.3 का लोप किया जाएगा।

- (ii) उपमद 4.3.1 का लोप किया जाएगा।
- (iii) मद ख में, उपमद 3.2 का लोप किया जाएगा।
- (ग) भाग 3 के पश्चात्, टिप्पणों में, -
- (i) टिप्पण 1 में, "शुक्रवार" शब्द के स्थान पर, "दिन" शब्द रखा जाएगा।
- (ii) टिप्पण 4 में, "संबंधित शुक्रवार" शब्दों के स्थान पर, "माह का अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 7/19/2023- भाग(1)-बीओए-1]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 1, खंड 1, में सा.का.नि. सं. एफ.4(55)-एफ-1/49, तारीख 26 मार्च, 1949 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् वित्त मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	तारीख
1.	एफ4(93)-एफ.1/50	20 अप्रैल, 1951
2.	डी.6037-एफ.1/52	17 नवंबर, 1952
3.	एफ.4(6)-एफ.1/54	24 नवंबर, 1954
4.	एफ.4(86)-बीसी/10	23 जून, 1961
5.	एफ.16(1(-बीसी/63	20 मई, 1964
6.	एफ16(6)-बीसी/64	3 जुलाई, 1965
7.	एफ.16(1)-बीसी/69	1 फरवरी, 1969
8.	एफ.3/4/74-बीओ.1	15 नवंबर. 1975
9.	एफ.1/16/84-बीओ.1	29 मार्च, 1985

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2025

- **G.S.R. 890(E).**—In exercise of the powers conferred by section 52 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and after consultation with the Reserve Bank of India, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Banking Regulation (Companies) Rules, 1949, namely: —
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Banking Regulation (Companies) Amendment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the 15th day of December, 2025.
- 2. In the Banking Regulation (Companies) Rules, 1949 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (f), sub-clause (iv)shall be omitted.
- 3. In the said rules,
 - (i) in rule 2A, the words "subsidiary bank" and "a subsidiary bank" shall be omitted.
 - (ii) rule 15B shall be omitted.

(iii) in the FORM VIII, –

- (a) under the heading "As at the close of business on", for "First alternate Friday@", "Second alternate Friday@" and "Third alternate Friday@", the following shall be substituted, namely: -
 - "15th day of the month@" and "Last day of the month@,";
- (b) in PART A,
 - (i) in clause I, in sub-clause (a), in item (i), the words "subsidiary banks" shall be omitted.
 - (ii) in clause II, for the words "Industrial Development Bank of India, Export Import Bank of India and National Bank for Agriculture and Rural Development", the words, brackets, letters and figures "Exim Bank, National Bank, National Housing Bank, Small Industries Bank, National Bank for Financing Infrastructure and Development and other development financial institution as defined in section 2 (cccii) of the Reserve Bank of India Act, 1934" shall be substituted.
 - (iii) in clause V, in sub-clause (a), in item (i), the words "subsidiary banks" shall be omitted.
- (c) in PART B, for clause VIII, for the brackets, figure and words "(3 per cent of VII as on the last Friday of the second preceding fortnight)" the brackets, figure and words "(Such per cent of VII, as on the last day of the second preceding fortnight, as notified by the Reserve Bank)" shall be substituted.
- (d) in PART C, -
 - (a) in clause XI, for the brackets, figures and words "(25 per cent or such other specified percentage of VII as on the last Friday of the second preceding fortnight)" the brackets, figures and words "(Such per cent of VII, as on the last day of the second preceding fortnight, as notified by the Reserve Bank)" shall be substituted.
 - (b) in clause XIII, -
 - (i) after sub-clause (h), the following sub-clause shall be inserted, namely: -
 - "(i) Amount deposited with the Reserve Bank, under Standing Deposit Facility Scheme."
 - (ii) after clause (i), so as inserted, for the brackets, words and letters "Total of (a) to (h)", the brackets, words and letters "Total of (a) to (i)" shall be substituted.
- (e) in the note, -
 - (i) the words "Subsidiary banks" shall be omitted.
 - (ii) for the word "Friday" the figures, letter and words "15th or the last day of month" shall be substituted.

(iv) in FORM X, -

- (a) in the heading, for the word "Friday", the word "day" shall be substituted.
- (b) in PART I, in item A.4,
 - (i) sub-item 4.1.3, shall be omitted.
 - (ii) sub-item 4.3.1, shall be omitted.
 - (iii) in item B, sub-item 3.2 shall be omitted.
- (c) after PART III, in the Notes, -
- (i) in the Note 1, for the word "Friday", the word "day" shall be substituted.
- (ii) in the Note 4, for the words "concerned Friday", the words "the last day of a month" shall be substituted.

[F. No. 7/19/2023 (Part-I)-BOA-I] SHALINI PANDIT, Jt. Secy. **Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Part 1, Section 1 vide Notification No. F.4(55)-F-1/49 dated 26th March, 1949 and subsequently amended vide the Ministry of Finance Notifications listed below: —

Sl.	Notification No.	Date	
No.			
1.	F.4(93)-F.1/50	20th April, 1951	
2.	D.6037-F.1/52	17th November, 1952	
3.	F.4(6)-F .1/54	24th November, 1954	
4.	F.4(86)-BC/10	23rd June, 1961	
5.	F.16(1)-BC/63	20th May, 1964	
6.	F.16(6)-BC/64	3rd July, 1965	
7.	F.16(1)-BC/69	1st February, 1969	
8.	F.3/4/74-BO.1	15th November, 1975	
9.	F.1/16/84-B.O.I	29th March, 1985	